न्यायालय जिला न्यायाधीश झुंझुनूं (राज०)

दीवानी विविध प्रकरण संख्या 75/2025 (CIS No. 78/2025)
विजयपाल बनाम अंजना देवी

दिनांक 30.07.2026

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीया के अधिवक्ता उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी विजयपाल की ओर से एक प्रार्थना पत्र इन तथ्यों का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ने एक विवाह विच्छेद याचिका अप्रार्थीया अंजना के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13(1) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 खेतड़ी के समक्ष प्रस्तुत की थी। अप्रार्थीया अंजना का सगा भाई आलोक मान एडवोकेट खेतड़ी न्यायालय परिसर में लम्बे समय से वकालत करता है जिसका खेतड़ी न्यायालय परिसर में असम्यक असर है तथा वह प्रकरण की सुनवाई में येन–केन–प्रकारेण रूप से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अतः न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 खेतड़ी में विचाराधीन प्रकरण संख्या 41/2020 उनवानी विजयपाल बनाम अंजना देवी अन्तर्गत धारा 13(1) हिन्दू विवाह अधिनियम को खेतड़ी न्यायालय परिसर से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किया जावे।

प्रार्थी की ओर से हिन्दू विवाह अधिनियम से संबंधित प्रकरण को अन्तरित किये जाने की प्रार्थना की गयी है परन्तु मेरे विनम्र मतानुसार हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अन्तरित करने अथवा सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः क्षेत्राधिकार के अभाव में यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्तानुसार हस्तगत प्रार्थना–पत्र पोषणीयता के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुनील कुमार पंचोली)
जिला न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.31 12:02:30 IST